



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

CBSE/Coord/2025/

Dated: 03.10.2025

सेवा में
प्रधानाचार्य
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: सत्र 2025-2026 के लिए परीक्षाओं के लिए कक्षा X (प्रथम परीक्षा) और कक्षा XII के लिए उम्मीदवारों की (एलओसी) की प्रस्तुती

महोदया/महोदय,

यह सीबीएसई परिपत्र संख्या सीबीएसई/एलओसी/एक्स-XII/2025-2026/दिनांक 27.08.2025 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा X और कक्षा XII के लिए उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करने के संबंध में।

इसके बाद, सीबीएसई ने विभिन्न परिपत्रों और अनुस्मारकों के माध्यम से सभी स्कूलों को एलओसी समय पर जमा करने के लिए याद दिलाया है। जारी किए गए परिपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है: -

1. परिपत्र/अधिसूचना सं. CBSE/Coord/2025-2026 दिनांक 09.09.2025 एलओसी जमा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों को रेखांकित करते हुए, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों के लिए वेब मॉड्यूल की सक्रियता आदि शामिल है।
2. एक परिपत्र संख्या CBSE/LOC/X-XII/2025-2026/ दिनांक 11.09.2025 को कक्षा X/XII-2025-2026 के लिए एलओसी जमा करते समय सटीकता और समयबद्धता के लिए स्कूलों को अनुस्मारक -1 जारी किया गया था।
3. एक परिपत्र संख्या CBSE/COORD/2025-2026/ दिनांक 18.09.2025 को डेटा और विषयों के सही प्रस्तुति के लिए माता-पिता की जानकारी के लिए जारी किया गया था।
4. एक परिपत्र संख्या CBSE/LOC/X-XII/2025-2026/ दिनांक 19.09.2025 को स्कूलों को 2025-26 के सटीक एलओसी डेटा भरने के लिए अनुस्मारक -2 जारी किया गया था।
5. एक परिपत्र संख्या CBSE/LOC/X-XII/2024-2025/ दिनांक 25.09.2024 को स्कूलों को एलओसी जमा करने और शुल्क के भुगतान के लिए अनुस्मारक -3 जारी किया गया था।
6. पांच अनुस्मारक भी 26.09.2025, 27.09.2025, 28.09.2025, 29.09.2025 और 30.09.2025 को जारी किए गए हैं, जिसमें बिना विलंब शुल्क के एलओसी जमा करने के लिए उपलब्ध शेष दिनों पर जोर दिया गया है।
7. इसलिए, सीबीएसई द्वारा स्कूलों को सुविधा प्रदान करने और दिनांक 27.08.2025 के परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों को दोहराने के लिए कुल 08 अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

बार-बार अनुस्मारक/सम्प्रेषण और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, यह देखा गया है कि कई स्कूलों ने अभी भी निर्धारित नियत समय के भीतर अर्थात् 22.09.2025 तक चालान के माध्यम से भुगतान के मामले में (विलंब शुल्क के बिना) और इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस/नेपाल सहित अन्य देश इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/स्विफ्ट कार्ड/क्रेडिट के माध्यम से भुगतान के मामले में 30.09.2025 (विलंब शुल्क के बिना) अपनी एलओसी जमा नहीं की हैं।

इसलिए, एलओसी जमा करने के पोर्टल को 30.09.2025 को बिना विलंब शुल्क के बंद कर दिया गया था और निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार 03.10.2025 से फिर से खोल दिया गया था, जिससे स्कूलों को विलंब शुल्क के साथ अपने एलओसी जमा करने की अनुमति मिली:-





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

भुगतान का तरीका	समय सारिणी विलंब शुल्क के साथ
चालान के माध्यम से भुगतान	03.10.2025 से 08.10.2025 तक अप्राप्त 11.59 बजे
चालान को छोड़कर शुल्क के भुगतान के सभी तरीके	03.10.2025 से 11.10.2025 पर अप्राप्त 11.59 बजे

जिन प्रधानाचार्यों ने अभी तक अपनी एलओसी जमा नहीं की हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उनके संबंधित स्कूलों के लिए एलओसी को पूरा किया जाए और विलंब शुल्क के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर और जमा किया जाए। पोर्टल समय सारिणी कार्यक्रम के अनुसार बंद हो जाएगा और उसके बाद कोई प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी।

अंतिम समय सीमा तक अपने एलओसी जमा करने में विफल रहने वाले स्कूल गैर-अनुपालन और बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की अयोग्यता सहित किसी भी परिणामी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

हस्ता/-

(सतपाल कौर)

संयुक्त सचिव (समन्वय इकाई)

प्रतिलिपि नीचे दर्शाए गए संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को भेजी जा रही है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों तक यह जानकारी पहुँचाएँ और उन्हें तदनुसार निवेदन प्रस्तुत करना का निर्देश दिया जाए:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016। (commissioner-kvs@gov.in)
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309। (nvsshww@gmail.com, commissioner.nvs@gov.in)
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। (nests-tribal@tribal.gov.in, commissioner.nests@tribal.gov.in)
4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा सं. 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001। (pvpsainikschool@gmail.com)
5. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। (dg-sai@gov.in)
6. नौसेना शिक्षा सोसायटी (NES), नौसेना शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक V, विंग II, तल II, आरके पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066। (nesnavy@gmail.com)
7. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा 751005। (oavsbbsr.od@gov.in)
8. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054। (dirededu@nic.in)
9. लोक अनुदेशन निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017। (dpi-chd@nic.in)



के. मा. शि. बो. एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

10. शिक्षा निदेशक, सरकार, सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम 737101.
(directorhehrdd@gmail.com)
11. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर- 791111.
(dirschledn@sify.com)
12. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर 744101.
(dirschledn@sify.com)
13. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी मंज़िल, सिविल सचिवालय, लेह-लद्दाख. (pr.secy@ladakh.gov.in)
14. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी सरकार, "ए" ब्लॉक, पहली मंज़िल, पेरुथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फीट रोड, अन्ना नगर, पुडुचेरी - 605 005.
(dse-edn@py.gov.in)
15. निदेशक, संभोटा तिब्बती स्कूल सोसायटी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश. (dhe-sml-hp@gov.in)
16. ग्रुप कैप्टन शिक्षा (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-VI, वायु सेना मुख्यालय (आरकेपी), आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066. (dopsmpr@iaf.nic.in)
17. सचिव AWES, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफ़डीआरसी भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट-110010.
(coordsection.aweshq@awesindia.edu.in)
18. अध्यक्ष के उप सचिव, सीबीएसई अध्यक्ष की सूचना हेतु.
19. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष.
20. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजें.
21. वेब एडमिन, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें.
22. मीडिया एवं जनसंपर्क, सीबीएसई, उचित प्रसार और प्रचार हेतु.